

अजि अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती नाम्नी बंगाल आनुवंशिकी (सर्विस)

दिनांक

प्रा.पत्र 111-120

नं०

114

2021

हुकम या कार्यवाही पर इतिहासकाल का

माण्डल व उपखण्ड
अधिकारी का पत्र
हुकम की कार्यवाही
में जारी है

12-8-21

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज सविस्तर विवरण माण्डल
विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 14-9-21 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

14-9-21

उभय पक्ष उपस्थित होने पर अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर निकलेंगे / पदरिक्त है।
दिनांक: पत्रावली दिनांक 30-9-21 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

1-11-21

पत्रावली प्रशासनगांवो के लोग अभियान 2021
के रूप में आवसी में पेश हुई, विपक्षीयता के
सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त उपखण्ड पत्रार
हल्का पखारी द्वारा मांडल विपक्षीयता प्राप्त हुई जिले
शा.पत्र किया गया। प्रार्थनापत्र का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पत्र से लिखा जाकर शा.पत्र
पत्र किया गया। पत्रावली केवल सुमार होकर नम्वर
से कम है।

डॉ. पूजा प्रसिना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के रूप अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

दमा संख्या :- 114/21 प्र. पत्र

श्रीमती रामुड़ी य. स्व. शैला भील निवासी- लिरडिया त. मांडल (भीलवाड़ा)
--प्रार्थी

बनाम

अबुल गनी य. श्री अबुल हफीज अंसारी निवासी- सांगानेर त. भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)
--विपक्षीगण
(सिद्धाजि प्र. पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 1.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
न किया कि ग्राम.....लिरडिया.....पटवार हल्का.....सापडी.....तहसील मांडल/में उसके
/संयुक्त खातों की आराजी नं.....934/361.....कुल किता01.....
.....1-0749 हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
प्रवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....17.8.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
रुनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
री है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फैरी होने का अंदेशा
था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....लिरडिया
हल्का.....सापडी.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....934/361
.....कुल किता01.....रकबा.....1-0749 हेक्टेयर.....
चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
ते किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....शैला.....को500/-.....
मिशनर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

र:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की 2021
गलना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021